भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3061**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसंबर, 2024/22 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

चीन से यूरिया और डाई-अमोनियम फॉस्फेट का आयात

3061. श्री डी.एम.कथीर आनंद:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारा देश उर्वरक संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका पर्याप्त उत्पादन करने में असमर्थ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या भारत यूरिया का सबसे बड़ा आयातक और डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का प्रमुख खरीदार है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल आयात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश बड़ी मात्रा में यूरिया और डीएपी के आयात हेतु चीन पर निर्भर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा चीन में होने वाले आयातों पर इस अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन देश की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है और इस अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन, खपत और आयात का विवरण निम्नानुसार है:-

यूरिया			
वर्ष	**उत्पादन**	**खपत**	**आयात**
2021-22	250.72	341.73	91.36
2022-23	284.94	357.26	75.80
2023-24	314.07	357.81	70.42

पीएंडके			
वर्ष	**उत्पादन**	**खपत**	**आयात**
2021-22	185.23	294.70	90.92
2022-23	200.35	279.12	112.01
2023-24	189.26	288.42	106.53

(ख) और (ग): पिछले तीन वर्षों अर्थात वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान किए गए कुल आयात (चीन से किए गए आयात सहित) का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): यूरिया के संबंध में, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 और 7 अक्टूबर, 2014 को इसके संशोधन की घोषणा की थी। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुण्डम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामत: गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमश: उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-।।। यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये इकाइयां अत्यधिक ऊर्जा कार्यकुशल हैं क्योंकि ये अद्यतन प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अत:, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान हुई 207.54 एलएमटीपीए की कुल यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़कर वर्तमान में 283.74 एलएमटीपीए हो गई है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए तक बढ़ा है।

इन उपायों से यूरिया उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर वर्ष 2023-24 के दौरान रिकार्ड यूरिया उत्पादन 314.07 एलएमटी हो गया है।

तदनुसार, यूरिया का आयात वर्ष 2022-23 में 75.80 एलएमटी से घटकर वर्ष 2023-24 में 70.42 एलएमटी हो गया है।

पीएंडके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्डके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक-तत्व मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों का उत्पादन/आयात करती हैं।

सरकार ने स्वदेशी उर्वरक को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) शीरे से प्राप्त पोटाश(पीडीएम), जो 100% स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, को पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(ii) एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, पर माल भाड़ा सब्सिडी, मृदा में फास्फेटयुक्त या 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए खरीफ, 2022 से लागू है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 13.12.2024 को दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं.3061 के उत्तर के भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान यूरिया और डीएपी का देशवार आयात						
						<आंकड़े लाख मीट्रिक टन में)
देश का नाम	**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**	
	यूरिया	**डीएपी**	**यूरिया**	**डीएपी**	**यूरिया**	**डीएपी**
अल्जीरिया	1.72	-	3.07		0.35	
ऑस्ट्रेलिया	-	0.52		1.51		
बहरीन	2.28	-	1.77		0.94	
चीन	**25.91**	**18.15**	**12.80**	**12.17**	**18.65**	**22.28**
मिस्र	7.43	0.68	2.63		0.92	0.18
एस्टोनिया	0.16	-	0.09			
फ़िनलैंड	1.52	-	7.69		1.41	0.33
जॉर्जिया	2.00	-	1.98			
इंडोनेशिया	2.33	-	1.34		2.16	
इज़राइल	-	-		0.44		
जॉर्डन	-	2.07		1.65		1.74
लातविया	1.06	-				
लीबिया	0.47	-				
नाइजीरिया	1.69	-	1.39			
मलेशिया	1.75	-	1.59		1.42	
मेक्सिको	-	0.61				
मोरक्को	-	11.60		17.47		11.13
ओमान	15.88	-	19.60		19.53	
कतर	3.87	-	5.02		1.70	
रूस	2.80	1.96	6.26	9.24	15.73	3.41
सऊदी-अरब	4.92	18.59	4.61	21.22	2.36	16.29
ट्यूनीशिया	-	0.44		0.85		
संयुक्त अरब अमीरात	7.95	-	4.16		5.08	
यूक्रेन	5.89	-				
संयुक्त राज्य अमेरिका	-	-	0.49	1.28		0.31
वियतनाम	1.73	-	1.31		0.17	
कुल योग:	**91.36**	**54.62**	**75.80**	**65.83**	**70.42**	**55.67**

******